न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2024 / 03 दर्ज तिथिः– 10.01.2025

1. निशा पत्नी श्री मोहम्मद सदीक निवासी मोहल्ला तेलियान चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

.................प्रार्थी

बनाम

1. मैना पत्नी इशाक निवासी मोहल्ला तेलियान चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. सदीक पुत्र अलारक निवासी मोहल्ला तेलियान चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

.... अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री शिवगोतम सोलंकी
अप्रार्थीगणः– संजीव मीणा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 14.10.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 3097 / 212 / 0.9924 हैक्ट. व खसरा संख्या 3102 / 210 / 0.0208 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 1.0132 हैक्ट. वाके ग्राम चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा, रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार चूरू के समक्ष प्रार्थना–पत्र संख्या 24615438427, 24644855108, 24644842900, 24644845845 से पेश किया जिस पर तहसीलदा[illegible]क 29.04.2024 को पटवारी हल्का चूरू द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन कर[illegible]र अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि खेत खसरा नम्बर 210, 211, 21[illegible] मूल खसरा नम्बर 210, 211, 212 के मध्य सींव मौजूद न[illegible] नम्बर 210, 211, 212 क[illegible] किया गया जो तीनों मूल खसरा के 55.03 बीघा (13.9489 है[illegible]) लगभग 02 बीघा भूमि क[illegible]गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

मुताबिक नक्शा के अनुसार अभिलेखित रकबा कम पाया गया। जिसमें प्रार्थीनी के हिस्से में रकबा कम मिला। उक्त खसरे में में सीमाज्ञान के दौरान मुताबिक रिकॉर्ड के मौके पर रकबा कम है। उक्त कृषि भूमि की दक्षिणी पूर्वी सींव क्षतिग्रस्त, क्षीण व जर्जर हालत में है जिसमें उक्त सींव स्पष्ट नहीं होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद हाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रार्थीया के लिए सीमाज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा नम्बर 3097/212 तादादी 0.9924 हैक्ट. व खसरा नम्बर 3102/210 तादादी 0.0208 हैक्ट. रोही कस्बा चूरू का सही सीमाज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया एवम् प्रार्थीया उचित शुल्क देने हेतु तैयार है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। शेष अप्रार्थीगण विधिवत तामील के बावजूद अनुपस्थित होने के कारण शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अंकित किया कि वह जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहता है।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के [illegible] अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में स[illegible] थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 3097/212/0.9924 हैक्ट. व खसरा संख्या 3102/210/0.0208 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 1.0132 हैक्ट. वाके ग्राम चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार चूरू द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम चूरू के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि मूल खसरों में प्रार्थीगण की लगभग 2 बीघा भूमि कम पाई गई। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। खसरा नं. 3097/212 तादादी 0.9924 हैक्ट., खसरा नं. 3102/210 तादादी 0.0208 हैक्ट. रोही कस्बा चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहती है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू रोही ग्राम चूरू तहसील चूरू में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 3097/212/0.9924 हैक्ट. व खसरा संख्या 3102/210/0.0208 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 1.0132 हैक्ट. की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 14.10.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)